



आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : आजमगढ़, जनपद : आजमगढ़, तहसील : लालगंज
वाद संख्या :- 2118/2023

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- T202315060402118

जयनाथ मेमोरियल एजुकेशनल जन सेवा ट्रस्ट हरईरामपुर द्वारा मैनेजिम ट्स्टी सुरेन्द्र बनाम अध्यक्ष भू० प्र० सं०
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद जयनाथ मेमोरियल एजुकेशनल जनसेवा ट्रस्ट हरईरामपुर मैनेजिम ट्स्टी सुरेन्द्र पुत्र नन्हकू निवासी-हरईरामपुर, परगना-बेलादौलताबाद, तहसील-लालगंज जिला-आजमगढ़, द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 80 उ०प्र०रा०संहिता 2006 बावत खाता सं० 311 आ०नं० 397कमि०/०-2870हे० व खाता सं० 130 आ०नं० 397मि०/०-113हे० कुल 2 गाटा रकबा 0-400हे० में से रकबा 0-0980हे० तथा खाता सं० 666 गाआ सं० 398/०-227हे० सम्पूर्ण रकबा स्थित मौजा हरईरामपुर, परगना बेलादौलताबाद, तहसील-लालगंज, जिला आजमगढ़ दाखिल हुआ। तहसीलदार लालगंज से जाँच करायी गयी। तहसीलदार लालगंज द्वारा जाँच कर अपनी आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की गयी, तहसीलदार लालगंज द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 16.05.2023 में उल्लेख किया गया है कि ग्राम हरईरामपुर के खाता सं० 311 आ०नं० 397कमि०/०-2870हे० व खाता सं० 130 आ०नं० 397मि०/०-113हे० तथा खाता सं० 666 गाआ सं० 398/०-227हे० जयनाथ मेमोरियल एजुकेशनल जनसेवा ट्रस्ट हरईरामपुर मैनेजिम ट्स्टी सुरेन्द्र पुत्र नन्हकू निवासी-हरईरामपुर आदि के नाम संकमणीय भूमिधर खाते में दर्ज है। उक्त खाता सं० 311 आ०नं० 397कमि०/०-0560हे० व खाता सं० 130 आ०नं० 397मि०/०-0790हे० तथा खाता सं० 666 गाटा सं० 398/०-227हे० सम्पूर्ण रकबा यानि कुल रकबा 0-362 पर मौके पर स्कूल के निर्माण के रूप में बतौर अकृषिक प्रयोजन की भूमि है। उक्त रकबा पर कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त रकबा अकृषिक रूप में उपयोग की जा रही है। निर्धारित प्रारूप पर जाँच आख्या संलग्न कर आ०नं० 397कमि०/०-0560हे० व आ०नं० 397मि०/०-0790हे० तथा गाटा सं० 398/०-227हे० भूमि अकृषिक भूमि घोषित करने तथा लगान मुक्त करने हेतु आख्या प्रेषित की गयी है।

पत्रावली पंजीकृत की गई। वादी द्वारा निर्धारित न्यायशुल्क 22450-00रु० व उद्घोषणा शुल्क 22450-00रु० का स्टाम्प पेपर जमा किया गया। वादी की बहस सुनी। पत्रावली पर बहस सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम हरईरामपुर के खाता सं० 311 आ०नं० 397कमि०/०-2870हे० व खाता सं० 130 आ०नं० 397मि०/०-113हे० तथा खाता सं० 666 गाआ सं० 398/०-227हे० जयनाथ मेमोरियल एजुकेशनल जनसेवा ट्रस्ट हरईरामपुर मैनेजिम ट्स्टी सुरेन्द्र पुत्र नन्हकू निवासी-हरईरामपुर आदि के नाम संकमणीय भूमिधर खाते में दर्ज है। उक्त खाता सं० 311 आ०नं० 397कमि०/०-0560हे० व खाता सं० 130 आ०नं० 397मि०/०-0790हे० तथा खाता सं० 666 गाटा सं० 398/०-227हे० सम्पूर्ण रकबा यानि कुल रकबा 0-362 पर मौके पर स्कूल के निर्माण के रूप में बतौर अकृषिक प्रयोजन की भूमि है। उक्त रकबा पर कृषि कार्य नहीं होता है। उक्त रकबा अकृषिक रूप में उपयोग की जा रही है। निर्धारित प्रारूप पर जाँच आख्या संलग्न है। तहसीलदार लालगंज की आख्या स्वीकार कर विवादित आ०नं० 397कमि०/०-0560हे० व आ०नं० 397मि०/०-0790हे० तथा गाटा सं० 398/०-227हे० भूमि को अकृषिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किए जाने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

आदेश

अतः तहसीलदार लालगंज की आख्या दिनांक 16-05-2023 स्वीकार की जाती है। मौजा-हरईरामपुर परगना-बेलादौलताबाद, तहसील-लालगंज, आजमगढ़ के खतौनी सन् 1425 से 1430फ० के खाता सं० 311 आ०नं० 397कमि०/०-0560हे० व खाता सं० 130 आ०नं० 397मि०/०-0790हे० तथा खाता सं० 666 गाआ सं० 398/०-227हे० मा० 60ख के अनुसार वाणिज्यिक भूमि घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। आदेश का प्रभाव खातेदार पर नहीं होगा। बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक- 19/05/2023

पृष्ठ संख्या :

RUB COPY

उप जिलाधिकारी लालगंज,
आजमगढ़।

